



2026:AHC:176780

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8588 सन् 2026

एखलाख

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) की ओर से अधिवक्ता

: शरीक अहमद

विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 326 सन् 2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ में, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मुकदमे में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक को प्रस्तुत प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। आवेदक के विरुद्ध गैंग चार्ट में केवल एक आधार प्रकरण (बेस केस) दर्शाया गया है तथा उक्त प्रकरण में आवेदक जमानत पर है। आवेदक किसी भी अपराध में दोषसिद्ध नहीं हुआ है। आवेदक का गैंग चार्ट में उसके विरुद्ध दर्शाए गए एकमात्र आधार प्रकरण के अतिरिक्त चार प्रकरणों का आपराधिक इतिहास है। तथापि, वह पूर्व दोषसिद्ध नहीं है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तगण शरीफुल हक उर्फ हाजी मुनमुन उर्फ गुनगुन, मोहम्मद साहिद उर्फ फैसल, जमील अहमद उर्फ मुन्नू एवं अबुल लैस को इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय द्वारा धारा 482 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 7691 सन् 2026 एवं 7839 सन् 2026, में क्रमशः अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों को विवादित करने में असमर्थ रहे हैं।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया।

6. इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक के विरुद्ध केवल एक आधार प्रकरण दर्शाया गया है, जिसमें आवेदक जमानत पर है, समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तगण शरीफुल हक उर्फ हाजी मुनमुन उर्फ गुनगुन, मोहम्मद साहिद उर्फ फैसल, जमील अहमद उर्फ मुन्नू एवं अबुल लैस को इस न्यायालय द्वारा धारा 482 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 7691 सन् 2026 एवं 7839 सन् 2026 में क्रमशः अग्रिम जमानत प्रदान की गई है तथा इस तथ्य को भी कि आवेदक पूर्व दोषसिद्ध नहीं है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूं।

7. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक एखलाख की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उक्त मुकदमा अपराध में संबंधित थाने के थानाध्यक्ष/न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उतनी ही धनराशि के प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अविलंब अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- i. आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा जब-जब अपेक्षित हो, पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को, उसे न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटन करने से विरत करने हेतु, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अवलोकन मात्र प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हैं तथा उन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत नहीं माना जाएगा।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

20 अगस्त, 2026

सचिन

Translated Version, Not For Legal Use.